राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687

वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:–निपेवि / सीपीडीएमसी / आउटसाईड / 2023 / 1024   दि. 17/11/2023.

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक),
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक),
राजस्थान, जयपुर

विषयः– अन्य राज्यों से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे राजस्थान के पेंशनर्स की महत्त्वपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु।

प्रसंगः– राज्य से बाहर अन्य राज्यों से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स से निरन्तर प्राप्त हो रही विभिन्न परिवेदनाएं।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान के अनेक पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों से पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त कर रहे है। लेकिन राज्यों के इन पेंशनर्स की निरन्तर परिवेदनाएं / शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो मुख्यतः निम्नानुसार है–

1. कम्यूटेड पेंशन की कटौती 14 वर्ष तक होने के उपरान्त भी कटौती बन्द कर पेंशन रिस्टोर करना (राजस्थान सिविल सेवा पेंशन रूपान्तरण नियम 1996 के नियम 6 एवं 29 की प्रति संलग्न।).
2. समय समय पर राज्य सरकार द्वारा लागू मंहगाई भत्ते की बढी हुई दरें लागू करना, (महंगाई भत्ता क्रमशः 31%, 34%, 38%,42%, 48%, बढाये जाने के आदेशों की अद्यतन प्रतियां संलग्न।)
3. वित्त विभाग, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.12(3)एफडी / रूल्स / 2023 दिनांक 25 जुलाई 2023 (प्रति संलग्न–बिन्दु सं.8) के अनुसार राज्य के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को उनकी 75 वर्ष की आयू पूर्ण होने पर मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन राशि की 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त भत्ते की रूप में पेंशन / पारिवारिक पेंशन में जोड़ कर भुगतान करना,
4. वित्त विभाग, राजस्थान के मेमोरेण्डम क्रमांक प.12(3)एफडी / रूल्स / 2023 दिनांक 12.09.2008 (प्रति संलग्न–बिन्दु सं. 3)के अनुसार राज्य के पेशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा 80 वर्ष की आयू पूर्ण करने पर मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन राशि की 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना है।

अतः आप से निवेदन है कि समस्त राज्यों में स्थित प्रधान महालेखाकार (हक एवं लेखा) कार्यालयों को राजस्थान राज्य के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की उपरोक्त वर्णित समस्याओं से सम्बन्धित परिवेदनाओं को सबंधित बैक शाखा / कोषालय स्तर पर प्राथमिकता से निराकरण करवाने का निर्देश प्रदान कर अनुग्रहित करावें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(डॉ0 देवराज)
निदेशक